

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 32/2017-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा0का0नि0.... (अ)- केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसका यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के माल को और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अंतर्गत आने वाले माल को, जब उन्हें भारत में आयात किया जाता है, उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से, जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, छूट प्रदान करती है।

सारणी

| क्र.सं. | माल का वर्णन | शर्तें |
|---------|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | भारतीय कलाकारों और मूर्तिकारों द्वारा विदेश में सृजित कलाकृतियां, चाहे भारत में ऐसे कलाकारों या मूर्तिकारों की वापसी पर आयात की गई हैं या भारत में उनके लौटने के पश्चात् ऐसे कलाकारों या मूर्तिकारों द्वारा आयात की जाती हैं। | |
| 2 | ऐसी पुस्तकें, जो एक सौ वर्ष से अधिक की आयु की पुरा वस्तुएं हैं। | यदि,- i. कला गैलरी का प्रचालन के करने वाला स्थापन स्वयं ऐसा आयातकर्ता है, जो ऐसी कलाकृतियों या पुरावस्तुओं का क्रेता या स्वामी है ; ii. आयातकर्ता, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष एक |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>अभिवचन प्रस्तुत करता है कि इस प्रकार आयात किया गया माल सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए उपयोग किया जाएगा और आयात किए जाने के पश्चात् विक्रीत नहीं किया जाएगा या उसका व्यापार नहीं किया जाएगा और इस शर्त का अनुपालन करने की असफलता के मामले में वह उक्त माल की ऐसी मात्रा, जिसका विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए इस प्रकार उपयोग न किया जाना सिद्ध हो जाता है, के संबंध में ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क के बराबर रकम का संदाय तब करने का दायी होगा यदि इस अधिसूचना के अधीन छूट न दी गई हो ; और</p> <p>iii. आयातकर्ता, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करते हुए जारी करता है कि-</p> <p>(क) आयातकर्ता एक संग्रहालय या गैलरी चलाता है, जो जनता को अप्रतिबंधित पहुंच अनुज्ञात करती है ; और</p> <p>(ख) ऐसे संग्रहालय या गैलरी के आवास का निर्माण स्पष्टतया संग्रहालय या कला गैलरी के प्रचालन के लिए है ।</p> <p>iv. ऐसी पुरावस्तुएं आयात किए जाने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में रजिस्ट्रीकृत हैं ।</p> |
|--|--|---|

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

(फा. सं. 354/119/2017-टीआरयू)

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार